प्रशासन गांव के संग (फोलोअप)अभियान वर्ष – 2022
पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6 7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. कुंज बिहारी शर्मा पुत्र ज्ञानेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण निवासी असरजाना हाल गंगाशहर बीकानेर तहसील व जिला बीकानरे।

वादी

बनाम

1. मोनिका पत्नी सुभाष जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डूसर तहसील नोहर हाल निवासी असरजाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. दीपक पुत्र सुभाष जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डूसर तहसील नोहर हाल निवासी असरजाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. आशा उर्फ आईशा पुत्री सुभाष जरिये संरक्षिका माता मोनिका पत्नी सुभाष जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डूसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादी

5. पुष्पादेवी पत्नी ज्ञानेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण निवासी असरजाना तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 315 सन 2022 निर्णय दिनांक– 23/05/2022.

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान वर्ष 2022 में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेशकार राज की उपस्थिति में अंतिम निस्तारण / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मगाई के खाता संख्या 9.2950हे. में वादी अकेला 1/9 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक 1/9 हिस्सा दर्ज है में वादी अकेला 2/3 हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 5 अकेली 1/3 हिस्सा की एवं रोही मौजा असरजाना के खाता संख्या 83/77 की कुल 5.6910हे. में वादी अकेला 11/154 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक 1/54 हिस्सा दर्ज है में से वादी अकेला 9/144 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 अकेली 1/18 हिस्सा की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का नाम कलमजन किया जाता है शेष काश्तकारो के हिस्से यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/05/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप)अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2022
कैम्प कोर्ट...

प्रशासन गांव कें संग (फोलोअप)अभियान वर्ष – 2022

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 315 सन 2022

अनवान :–

1. कृष्ण बिहारी शर्मा पुत्र ज्ञानेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण निवासी अरारजाना हाल गंगाशहर बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर।

वादी

बनाम

1. मोनिका पत्नी सुभाष जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर हाल निवासी अरारजाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. दीपक पुत्र सुभाष जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर हाल निवासी अरारजाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. आशा उर्फ आईशा पुत्री सुभाष जरिये संरक्षिका माता मोनिका पत्नी सुभाष जाति ब्राह्मण निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

असल प्रतिवादी

5. पुष्पादेवी पत्नी आनन्द कुमार जाति ब्राह्मण निवासी अरारजाना तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पक्षकार एक्स

निर्णय दिनांक :– 23/05/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा मंगोई के खाता संख्या 9.2950हैक्टेयर में वादी अकेला 1/9 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक 1/9 हिस्सा, रोही मौजा अरारजाना के खाता संख्या 83/77 की कुल 5.6910हैक्टेयर में वादी अकेला 11/154 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक 1/54 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम संयुक्त खाते में दर्ज है वाद भूमि पूर्व में ज्ञानेन्द्र पुत्र बुधराम के नाम से दर्ज थी जिनके एव उसके पुत्र सुभाष के देहान्त होने के बाद विरासतन से वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम संयुक्त खातें में दर्ज हुई है।

वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम संयुक्त खातें में दर्ज वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के परिवारिक समझौता एव बाहमी बटवारा के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जाकर बीकानेर में भूमि प्राप्त कर ली है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उनके दादा/पूर्वज ज्ञानेन्द्र एवं उनके पिता सुभाष के देहान्त होने पर विरासतन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है वादी एव

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बीकानेर में रहते है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जो एक ही परिवार के सदस्य है ने वाद भूमि व अन्य भूमियों का परिवारिक समझौता किया जाकर बाहमी बटवारा किया गया था जिसमें वाद भूमि वादीया एव प्रतिवादी संख्या 5 को प्राप्त हुई थी जो वादी एव प्रतिवादी संख्या 5 काश्त करते आ रहे है वादी एव प्रतिवादी सख्या 1 ता 3 5 के बाहमी बटवारा के अनुसार वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 5 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात वादी के निवेदन पर पत्रावली प्रशासन गाव के (फोलोअप) अभियान वर्ष – 2022 में प्रस्तुत हुई।

वकील वादी व अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा गंगोई के खाता संख्या 9. 2950हैक में वादी अकेला 1/9 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक 1/9 हिस्सा, रोही मौजा असरजाना के खाता संख्या 83/77 की कुल 5.6910हैक में वादी अकेला 11/154 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक 1/54 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम सयुक्त खाते में दर्ज है वाद भूमि पूर्व में ज्ञानेन्द्र पुत्र बुधराम के नाम से दर्ज थी जिनके एव उसके पुत्र सुभाष के देहान्त होने के बाद विरासतन से वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम सयुक्त खाते में दर्ज हुई है।

वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम सयुक्त खाते में दर्ज वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के परिवारिक समझौता एव बाहमी बटवारा के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जाकर बीकानेर में भूमि प्राप्त कर ली है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद/कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.डी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा गंगोई के खाता संख्या 9.2950हैक में वादी अकेला 1/9 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक 1/9 हिस्सा, रोही मौजा असरजाना के खाता संख्या 83/77 की कुल 5. 6910हैक में वादी अकेला 11/154 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक 1/54 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि उनके पुर्वज ज्ञानेन्द्र एवं उसके पुत्र सुभाष के देहानत होने के बाद वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 के नाम विरास्तन से दर्ज हुई है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है ।

धिकारी

वादी का कथन है कि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 एक ही परिवार के सदस्य है प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बीकानेर में निवास करते है तथा वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ने आपसी सहमति से परिवारिक समझौता किया जाकर वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया गया जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने हकों का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एव प्रतिवादी संख्या 5 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरया होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं पैरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एव वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ममाई के खाता संख्या 9.2950हैक्ट में वादी अकेला 1/9 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक 1/9 हिस्सा दर्ज है में वादी अकेला 2/3 हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 5 अकेली 1/3 हिस्सा की एवं रोही मौजा असरजाना के खाता संख्या 83/77 की कुल 5.6910हैक्ट में वादी अकेला 11/154 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक 1/54 हिस्सा दर्ज है में से वादी अकेला 9/144 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 अकेली 1/18 हिस्सा की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का नाम कलमजन किया जाता है शेष काश्तकारो के हिस्से यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय बाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/05/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2022
कैम्प कोर्ट............

उपखण्ड अधिकारी
नोहर